15

समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ

राजस्थान सरकार

कार्यालय, आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

No. F6()Accts/CTAD/E-Bid./EPS/2015-16/ 3894 Dated- 8/2/16

E-BID NOTICE No. 05/2015-16

On line Bids are invited from Manufacturer/Authorized Dealer/Distributors for the following items :-

S. No.	Name of Items	Estt. Total Cost (in lacs)	Bid Security (EMD) (in lacs)	Bid Fee (in Rs.)	Processing Fee (in Rs.)
1	**Electric pump set (open well submersible pump set) with accessaries and installation**	690.00	13.80	400/-	1,000/-
The Bid documents can be download from web site http://eproc.rajasthan.gov.in . Details of this Bid notification and pre-qualification criteria can also be seen in NIB exhibited on website www.dipronline.org. Bids are to be submitted online in electronic format on website http://eproc.rajasthan.gov.in					
2	E- Publishing Date & Time :-	15.02.16 at 3.00 PM			
3	Document Download start date & time	15.02.16 at 4.00 PM			
4	Pre bid meeting	23.02.16 at 3.00 PM			
5	Document Download end date & time	15.03.16 at 3.00 PM			
6	Bid submission start date & time	24.02.16 at 3.00 PM			
7	Bid submission end date & time	15.03.16 at 3.00 PM			
8	Technical Bid opening date, time & Venue	16.03.16 at 1.00 PM, Office of the Commissioner, TAD			
9	Physical submission of Bid Fee, Processing Fee & Bid Security (EMD) at the Office of the Commissioner, Tribal Area Development Department, Udaipur before stipulated date and time of opening of Technical Bid.				

Additional Commissioner-I

वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ

राजस्थान सरकार

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

खुली प्रतियोगी ई-बोली सूचना

निम्नलिखित सामग्री क्रय किए जाने हेतु ई- बोलियां (तकनीकी एवं वित्तीय) दिनांक 15.03.16 को अपरान्ह 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है:-

S. No.	Name of Items	Estt. Total Cost (in lacs)	Bid Security (EMD) (in lacs)	Bid Fee (in Rs.)	Processing Fee (in Rs.)
1	**Electric pump set (open well submersible pump set) with accessaries and Installation**	690.00	13.80	400/-	1,000/-

सामान्य शर्तेः-

1. बोली प्रपत्र शुल्क, बोली बयाना राशि, प्रोसेसिंग शुल्क की राशि के बिना प्राप्त बोली पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

2. बोली से सम्बन्धित नियम, शर्ते एवं बोली प्रपत्र http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। बोलीदाता के द्वारा डाउनलोड किये गये बोली प्रपत्र का मूल्य रू. 400/- का डी.डी. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग, उदयपुर के नाम एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि रू. 1000/- का डी.डी. M.D., RISL, Jaipur के नाम से संलग्न कर तकनीकी बोली से पूर्व आयुक्तालय में जमा कराना होगा।

3. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।

4. उक्त बोलियों को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त, जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग, उदयपुर विभाग का होगा।

5. **तकनीकी बोली प्रपत्र को स्वीकार किये जाने हेतु अनिवार्य शर्ते :-**
   (a) निर्धारित बोली बयाना राशि।
   (b) बोली प्रपत्र ऑनलाइन।
   (c) बोली के साथ में दिनांक 30.09.2015 तक वैट चुकता प्रमाण पत्र।
   (d) बिक्री/वेट कर पंजीयन संख्या का प्रमाण पत्र स्वयं द्वारा प्रमाणित।
   (e) आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर प्रमाणित प्रति।
   (f) तकनीकी बोली प्रपत्र भरा हुआ तथा सम्बधित सभी परिशिष्ट व सभी दस्तावेज स्वयं द्वारा प्रमाणित किये होने चाहिये।
   (g) क्रय की जाने वाली वस्तु के लिए निर्माता/डीलर/अधिकृत विक्रेता होने का वैध प्रमाण-पत्र।
   (h) सप्लाई किये जाने वाले सामान का जहां आवश्यक हो वजन अंकित किया जावें।
   (i) फर्म को कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव के संबंध में फर्म द्वारा गत 5 वर्षो में राजकीय विभागों/संस्थाओं में के विद्युत पम्प सेट सप्लाई एवं रखरखाव कार्य का विवरण दिया जाना चाहिये अथवा संबंधित दस्तावेजों की संतोषजनक कार्य की प्रति प्रस्तुत की जावें।
   (j) फर्म को अपना बैंक खाता संख्या मय आई.एफ.एस.सी. कोड, बैंक का नाम एवं शाखा अंकित की जानी होगी।
   (k) फर्म को गत 3 वर्ष (वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15) का बिक्री टर्नओवर राशि रू. 300.00 लाख प्रतिवर्ष से कम का नहीं होना चाहिये। इस हेतु अंकेक्षित लेखे संलग्न किये जाने आवश्यक है।
   (l) **नमूने तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किये जावे। नमूनों का अवलोकन उपापन समिति द्वारा किया जायेगा।**
   (m) विद्युत पम्प सेट की वारंटी अवधि 2 वर्ष होगी इस हेतु वारंटी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।
6. तकनीकी बोली के सफल बोलीदाता की ही वित्तीय बोली पर विचार किया जा जावेगा।
7. वारंटी अवधि में विद्युत पम्प सेट में कोई खराबी होने पर अनुमोदित फर्म को 7 दिवस में विद्युत पम्प सेट रिपेयर करना होगा।
8. वारंटी अवधि में विद्युत पम्प सेट में कोई खराबी होने पर रिपेयर/मेंटीनेंस हेतु बोलीदाता फर्म को शिकायत दर्ज करवाने के लिए टोल फ्री नम्बर अथवा अन्य कोई टेलिफोन नम्बर पृथक से निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित करने होगे तथा बिल में भी उल्लेख करना होगा।
9. ई-बोली की शर्तों के अनुसार कार्य नहीं करने पर बोलीदाता फर्म को ब्लेक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जा सकती है।
10. बोली में आंमत्रित दरें अनुमोदित किये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगी।
11. सामग्री पर जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग, उदयपुर की परमानेंट मोहर अंकित करनी होगी।

12. बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट के लिये आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर के पास रजिस्ट्रीकृत कुटीर एवं लघु उद्योग विभाग उन मदों के सम्बन्ध में जिसके लिये वें इस रूप में रजिस्ट्रीकृत है, सामान का कय राजस्थान के उद्योग के अधिमान) नियम 1995 के नियम–8 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही जो वित्त (जीएफ एण्ड एआर) विभाग के आदेश कमांक : प1(1)वित्त/सा.नि.लेनि./2007 दिनांक 19.10.2010 परिपत्र संख्या 24/2010 में वर्णित है के अनुसार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा बोली बयाना /कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट देय नहीं होगा।

13. सामान/वस्तु की कय राशि अनुमानित है। अनुबन्ध अवधि के दौरान कय सामग्री की कुल कय अनुमानित कीमत से कम/अधिक हो सकती है। अधिकतम कय राज. लोक. उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के उपनियम 73 के अनुसरण मे निम्नानुसार होगी :–
    1. संविदा के अधिनिर्णय के समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मो या सेवाओं के परिमाण में बढोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढोतरी बोली दस्तावेजों मे विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निंबधनों और शर्तो में किसी परिवर्तन के बिना होगी ।
    2. यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
    3. अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणें के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपंबधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तो पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश ई–बोली आमंत्रित करने के पश्चात दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण हाने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकगी। पुनरादेश की सीमाऐं निम्नलिखित होंगी :–
       (क) संकर्मो की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत, और
       (ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत ।

14. **विशेष परिस्थितियों में राज. लोक उपापन में पारदर्शीता नियम 2013 के नियम 74 के अनुसार कार्य Fair, Transparent & equitable manner से विभाजित किया जा सकेगा । (In case department opts for keeping more than one supplier, then the tendered quantity will be distributed in an appropriate ratio between the suppliers. Department may allocate higher quantity to the tenderer(s) in order of their ranking based on initially offered rates.)**

15. राज्य में दिनांक 26.01.2013 से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शीता अधिनियम 2012 व नियम 2013 प्रभावशील है। अतः उक्त बोली पर उक्त अधिनियम व नियम के सभी प्रावधान प्रभावशील होंगे ।

अतिरिक्त आयुक्त–प्रथम
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर

राजस्थान सरकार

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

ई–बोली प्रपत्र शुल्क रूपये 400 /–

बोली प्रपत्र बेचने की अन्तिम तिथि--15.03.16 3.00 बजे अपरान्ह तक

बोली प्रपत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि– 15.03.16 3.00 बजे अपरान्ह तक

तकनीकी बोली खोलने की तिथि – 16.03.16 1.00 बजे अपरान्ह

विद्युत पम्प सेट मय एसेसरीज क्रय एवं स्थापना हेतु ई–बोली संख्या............................ दिनांक..................................

1. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का स्थाई पता

....

....

....

.2. किसको सम्बोधित की गई :– आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

3. सन्दर्भ .... में प्रकाशित ई–बोली सूचना।

4. बोली प्रपत्र शुल्क की राशि रू. 400/– मात्र नकद रसीद संख्या .... दिनांक .... डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक सख्या .... दिनांक .... के द्वारा जमा करा दी गयी है।

5. हम आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर द्वारा जारी की गई बोली दिनांक ....में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त बोली की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। इनके सभी पृष्ठों पर उनके उल्लिखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है। हम राज्य सरकार के उपापन संबंधी अधिनियम/नियम आदेश से आबद्व होना स्वीकार करते है।

6. बैक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक .... दिनांक .... जो ....(बैक का नाम) पर आहरित किया गया है। नकद रसीद संख्या .... दिनांक............................ रू. .... के लिए जारी किया गया है, बयाना राशि के पेटे संलग्न प्रस्तुत किया जाता है।

7. इसके साथ बिक्रीकर पंजीयन एवं बिक्रीकर मुक्ति प्रमाण–पत्र संलग्न है।

8. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र संलग्न है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

तकनीकी बोली प्रपत्र

अन्तिम तिथि : 15.03.16

समय :– अपरान्ह 3.00 बजे तक   हस्ताक्षर

ई–बोली प्रपत्र शुल्कः– रू. 400/–

राजस्थान सरकार

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

1. विद्युत पम्प सेट मय एसेसरीज कय एवं स्थापना के लिये बोली

2. ई–बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता..

....

....

3. किसको सम्बोधित किया गया– **आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर**

4. संदर्भ कमांक :

5. ई–बोली प्रपत्र शुल्क– 400/–रूपये नकद रसीद संख्या बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या .... एवं दिनांक ....के द्वारा जमा करवा दी गई हैं ।

6. हम **आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर** द्वारा जारी की गई ई–बोली सूचना संख्या.............................., दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न प्रपत्र में दी गई उक्त बोली सूचना के अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये **हैं**।)

7 (क) आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का विवरण एवं अनुमानित मात्रा संलग्न **एनेक्सर –**"...." के अनुसार है ।

(ख) सप्लाई की जाने वाली सामग्री की दरें अलग से वित्तीय बोली प्रपत्र **एनेक्सर–** "..." में अकिंत की गयी है उक्त वित्तीय बोली पत्र को अलग से वित्तीय बोली के लिफाफे में बन्द किया गया है।

8. कार्य आदेश जारी करने की दिनांक से 45 दिवस की अवधि के भीतर फर्म द्वारा आईटम सप्लाई एवं स्थापित कर कमिंशनिंग करनी होगी।

9. ई–बोली में आमत्रिंत दरें अनुमोदित किये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगी।

10. बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक संख्या ....जो ....(बैंक का नाम) पर आहरित किया गया है। डी.डी. संख्या .... दिनांक........................रूपये .... /– लाख मात्र के लिए बोली बयाना राशि **के पेटे संलग्न किया** जाता है।

11. ई–बोली के साथ **दिंनाक 30.09.2015 तक** विधि मान्य वैट चुकता प्रमाण–पत्र एवं पेन नम्बर एवं टीन नम्बर की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

12. ई–बोली द्वि–प्रकमी बोली के रूप में आमंत्रित की गयी है। बोली दाता की तकनीकी क्षमता हेतु दस्तावेजों की स्वतः द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न कर तकनीकी बोली लिफाफा में रखी जावें।

बोलीदाता के **हस्ताक्षर मय सील**

FORMAT FOR TECHNICAL SPECIFICATION OF ITEMS

Item no.	Name of the Item & Specification	Aprox Quantity	Products Name/ Make/ Trade/ Mark etc	Specimen/ Catalog Enclosed YES/NO
1	**Electric pump set** **(open well submersible pump set) with accessaries and installation** **Specification** Power rating- 2.2 kw/ 3HP Power supply- 3 phase AC voltage range 415+- 10percent Rated voltage- 415 volt Total head- 7 to 20 meter Discharge- 7 to 12 leter per sec. Pipe (suction/delivery)- 80mm/65mm Strainer- 80mm dia, stainless steel **Material:** Impellor- cast iron Delivery casing- cast iron Motor body- cast iron Shaft- Stainless steel CED coated wetted components for long life rust free operation **Starter:** Relay range range- 4 to 6.5 Amps Backup type HF fuse- 16 A **CABLE:** Three core 2.5 square mm flat water proof length 30 meter (ISI mark) **Pipe:** PVC flexy pipe 20 meter 65 mm with conector (ISI mark)	4600 nos		

नोटः— सामग्री का एफ.ओ.आर अनुसूचित क्षेत्र में बी.पी.एल. जनजाति कृषकों के जल स्रोत पर परियोजना अधिकारी, टी.ए.डी. द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूची अनुसार होगा।

हस्ताक्षर बोलीदाता

1. बोलीदाता का नाम
2. डाक का पता

____

____

____

3. टेलीफोन नं. (दुकान) ....

(घर) ....

4 ई–मेल–

स्थान–

दिनांक–

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc!

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

DocJ

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Principal Secretary, TAD
The designation and address of the Second Appellate Authority is Finance Dept.

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement.
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee

Doc i

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Doc!

29

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ………of ……………

Before the ………………………… (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal: ……… (Supported by an affidavit)
7. Prayer: ……

Place ………………………………

Date ………………………………

Appellant's Signature

Doc1

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

FINANCIAL BIDS

1. बोलीदाता अथवा अधिकृत व्यक्ति का नाम ....
2. डाक का पता ....
....
....
3. टेलिफोन नं. (कार्यालय)..................................... मोबाईल नम्बर ....
(निवासी).......................................
(पेन नं0).......................................
4 ई–मेल–
4. बयाना राशि का विवरण :– डी.डी. / बैंकर्स चैक ....दिनांक..........................
राशि ....ऑफ लाईन प्रस्तुत कर दी गई है।

वित्तीय बिड विद्युत पम्प सेट कय एवं स्थापना की ई–बोली हेतु हम निम्नानुसार दरें प्रस्तुत करते है–

Item no.	Name of the Item & Specification	Aprox Quantity	Product name /make/trade mark	Total Rs.
1	**(A) Electric pump set** **(open well submersible pump set) with accessaries** **Specification** Power rating- 2.2 kw/ 3HP Power supply- 3 phase AC voltage range 415+- 10percent Rated voltage- 415 volt Total head- 7 to 20 meter Discharge- 7 to 12 leter per sec. Pipe (suction/delivery)- 80mm/65mm Strainer- 80mm dia, stainless steel **Material:** Impellor- cast iron Delivery casing- cast iron Motor body- cast iron Shaft- Stainless steel CED coated wetted components for long life rust free operation **Starter:** Relay range range- 4 to 6.5 Amps Backup type HF fuse- 16 A **CABLE:** Three core 2.5 square mm flat water proof length 30 meter **Pipe:** PVC flexy pipe 20 meter 65 mm with conector	4600 nos		**Rates will be filled in BOQ online**
	(B) Installation	4600 nos	-NA-	
Total				

एफ.ओ.आर :– सामग्री का एफ.ओ.आर अनुसूचित क्षेत्र में बी.पी.एल. जनजाति कृषकों के जल स्रोत पर परियोजना अधिकारी, टी.ए.डी. द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूची अनुसार होगा।

नोट– मूल दर में वस्तु का मूल्य, सभी **Levies**, उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय बिक्रीकर चुंगी, कार्ट्रेज, पैकिंग आदि सभी की कीमत शामिल की जाये।(वेट को अलग से दर्शाया जावे)

1. बोलीदाता का नामः–
2. डाक का पताः–
3. टेलीफोन नं. (दुकान) ....
(घर) ....

स्थान–
दिनांक–

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

खुली प्रतियोगी ई–बोली के लिए बोली एवं संविदा की शर्ते

टिप्पणी :– बोलीदाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी बोलीयॉ भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

1. वास्तविक डीलरो द्वारा बोली :– बोली मालों के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेगी। अतः ये एस.आर. प्ररूप 11 (Declaration by the Bidder) में फर्म के लेटर हैड पर एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।

2.(a) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

(b) संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार / भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गई किसी भागीदारी की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

3. ***बिक्री कर पंजीयन एवं चूकती प्रमाण पत्र***– कोई भी डीलर यदि उस राज्य में, प्रचलित जहॉ उसका व्यवसाय स्थित है, बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह बोली नहीं देगा। बिक्री कर पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा सम्बन्धित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्री कर चुकती प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा जिसके बिना बोली को रद्द कर दिया जाएगा।

4. बोलीयां ऑनलाईन आवेदित की जावेगी। बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली के समस्त निबंधनों एवं शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा। ई–बोली Digitally signed होनी चाहिए।

5. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियॉ एवं /या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियॉ करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि को पृथक में दिखाना चाहिए।

6. **दरें अनुसूचित क्षेत्र में बी.पी.एल. जनजाति कृषकों के जल स्रोत पर परियोजना अधिकारी, टी.ए.डी. द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूची अनुसार एफ. ओ. आर उद्धत की जानी चाहिए** तथा उनमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु चुंगी, केन्द्रीय/राजस्थान बिक्री कर को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामलें में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा किसी गाड़ी भाड़ें (कॉर्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जाएगी। खरीदे जाने वाले माल कार्यालयों के उपयोग के लिए होते हैं, इसलिए इन पर चुंगी का भुगतान नहीं किया जाता है। अतः इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों आदि को शामिल नहीं करना चाहिए। यदि खरीदे जाने वाले माल पुनः बिक्री करने के लिए या बिक्री हेतु किसी माल के विनिर्माण के रूप में उपयोग में लेने के लिए हैं, तो इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों को शामिल किया जाएगा। पूर्व उपयोग की दशा में विहित प्ररूप में एक प्रमाण पत्र प्रदाय आदेश के साथ भेजा जाएगा।

7.(a) **दरों की तुलना** :– राजस्थान के बाहर की फर्मो तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मो, जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान की हकदार नहीं हैं, द्वारा निविदत दरों की तुलना करने में, राजस्थान बिक्री कर राशि को शामिल नहीं किया जाएगा जबकि केन्द्रीय बिक्री कर को इसमें शामिल किया जाएगा।

(b) राजस्थान के भीतर की फर्मो के सम्बन्ध में दरों की तुलना करते समय, राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल किया जाएगा।

8. **मूल्य अधिमान** :– (मूल्य अधिमान/ अधिमान, राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों को राजस्थान के बाहर के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमान) नियम, 1995 के अनुसार दिया जाएगा।

9. ***विधिमान्यता***:– बोली में आमंत्रित दरें उनके अनुमोदन की दिनांक से एक वर्ष तक की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी।

10. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तो, विनिर्देशों, आकार मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जॉच कर ली है। यदि उसे इन शर्तो, विनिर्देशों, रेखाचित्र आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे केता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

11. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।

12. **विनिर्देश :–**

(1) प्रदाय की गई सभी वस्तुऍं बोली में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहॉं पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गई हो, वहॉं उन मदों को पूर्णरूप से उन विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए। प्रदाय की गई वस्तु नवीनतम पैकिंग की होनी चाहिये। यदि किसी वस्तु के साथ कम्पनी द्वारा कोई फ्री आईटम दिया जा रहा है तो वह आईटम भी वस्तु के साथ देना होगा।

(2) तारा चिन्ह् से अंकित / कम संख्या .... पर अंकित वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्रियों के मामलें में, जहॉं कोई मानकीकृत या अनुमोदित नमूने न हों, वहॉं अत्युत्तम गुणवता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा। केता अधिकारी / केता समिति का इस सम्बन्ध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुऍं विनिर्देशों के अनुरूप हैं, तथा क्या वे नमूनों, यदि कोई हो, के अनुसार हैं, किया गया निर्णय अन्तिम एवं बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

(3) वारंटी/ गारंटी खण्डः–बोलीदाता यह गारंटी देगा कि माल/ सामान/ वस्तुऍं खरीदे जाने वाले उक्त माल / सामान/ वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से ....दिनों / माहों की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवॅं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी ,तथा इस तथ्य के बावजूद कि केता ने उक्त मालों /सामानों /वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हैं एवं / या उन्हें अनुमोदित कर दिया है, यदि .... दिनों / माहों की उक्त अवधि में, उक्त मालों / सामानों / वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए हैं (तथा उस सम्बन्ध में केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व निर्णायक होगा), तो केता उक्त मालों / सामानों/ वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवता के अनुरूप नहीं पाया जाए, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल / सामान / वस्तुऍं विकेता की जोखिम पर होंगी तथा माल आदि को रद्द करने से सम्बन्धित समस्त उपबंध लागू होंगे। बोलीदाता यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाय तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे केता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा बोलीदाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गई शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गई कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस सम्बन्ध में केता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

(4) मशीनों एवं उपकरणों के मामलें में भी, उक्त खण्ड (iii) में उल्लेखित किए गए अनुसार गारंटी दी जाएगी तथा बोलीदाता गारंटीकृत अवधि में पुर्जो। यदि कोई हो, को बदलेगा और किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा यदि उक्त अवधि में वैसा पाया जाए, ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सके। बोलीदाता मशीनों एवं उपकरणों को उस स्थिति में भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाएँ कि विनिर्माण की त्रुटि आदि के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता हों।

(5) केता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामलें मे बोलीदाता ऐसे निबंधनों और शर्तो पर जो उनके बीच स्वीकार की जाएँ, वार्षिक रख–रखाव (मेंटीनेंस) एवं मरम्मत के लिए उत्तरदायी होगा। बोलीदाता किसी विशिष्ट प्रकार की मशीनरी के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स एवं उपकरणों का नियमित समुचित प्रदाय करने के लिए भी, चाहे वार्षिक रखरखाव व मरम्मत की दर संविदा के अधीन या अन्यथा उत्तरदायी होगा। मॉडल में परिवर्तन के मामले में, वह केता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा जो अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यकारी दशा में रखने के लिए उनसे स्पेयर पार्ट्स खरीद सकेगा।

(6) प्रदाय किए जाने वाले माल/ सामान/ वस्तुओं पर menufecturing date दर्शित होनी चाहिए अर्थात dead stock प्रदाय नहीं किया जाऐ।

निरीक्षणः–

13(क) केता अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रकिया के दौरान या उसके बाद, जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों / उपकरणों / मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जॉच करने की शक्ति होगी

(ख) बोलीदाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशाप के परिसर का, जहाँ पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति का नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामलें में, जो व्यवसाय में नए प्रविष्ट हुए है, अपने बैंकर्स से एक परिचय–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

14. **नमूनेः**– अनुसूची में अंकित वस्तुओं की बोली के साथ उचित रूप से पैक की गई निविदत वस्तुओं का एक नमूना प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसे नमूने, यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाएं तो कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। नमूने प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने के लिए रसीद दी जाएंगी। यदि ये नमूने ट्रेन आदि से भेजे जाते हैं, तो इन्हें भुगतान कर भाड़े द्वारा भिजवाने चाहिए तथा आर / आर या जी.आर एक पृथक रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए। केटरिंग /खाद्य पदार्थो के नमूने प्लास्टिक बॉक्स / पोलीथीन के थैलों में बोलीदाता के खर्च पर दिये जाने चाहिए।

15. प्रत्येक नमूने पर, उस पर, या उस पर मजबूती से चिपकायी गई किसी मजबूत कागज की पर्ची पर बोलीदाता का नाम, मद की कम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जाएंगे।

16. अनुमोदित नमूनों को संविदा के समाप्त होने के बाद छह माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जाएगा। इस अवधि में इन नमूनों को प्रतिधारित करने के दौरान उनमें परीक्षण, जॉच आदि के दौरान किसी भी नुकसान, टूट–फूट हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी।

निर्धारित अवधि की समाप्ति पर बोलीदाता द्वारा नमूनों को वापस लिया जाएगा। सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई नमूने प्राप्त नहीं किए जाते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा समपहृत (Forefeit)कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम नहीं किया जाएगा।

17. असफल बोलीदाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए नमूनों को इक्टठा किया जाएगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है उनमें परीक्षण, जॉच आदि के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान, टूट–फूट, हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूने वापस नही लिए जाएंगे उन्हें समपहृत किया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

18. प्रदाय जब भी प्राप्त किया जाएगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वह विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं। जहाँ आवश्यक हो या विहित किया गया हों या व्यावहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों जैसे श्री राम टेस्टिंग हाउस, नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहाँ पर प्रदाय किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित विनिर्देशों के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

19. नमूने निकालनाः– परीक्षणों के मामलों में बोलीदाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में नमूने लिए जाएंगे तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबन्द किया जाएगा। उनमे से एक सैट उन्हें दे दिया जाएगा, एक या दो सैटों को प्रयोगशालाओं एवं / या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा तीसरा या चौथा सैट संदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किया जाएगा।

20. परीक्षण प्रभार :– परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि बोलीदाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

21. **रद्द करना** :–

(i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएँ अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा बोलीदाता द्वारा उन्हें केता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

(ii) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, उन वस्तुओं को पूर्ण या आंशिक रूप में बदलना साध्य (feasible)नहीं समझा जाए, तो केता अधिकारी बोलीदाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौति करेगा। इस प्रकार की गई कटौति अन्तिम होगी।

22. रद्द की गई वस्तुओं को बोलीदाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद केता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे बोलीदाता की जोखिम पर उसके मदे् उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।

23. बोलीदाता उचित पैंकिग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई नुकसान न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, नुकसान, टूट–फूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में, बोलीदाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जॉच / निरीक्षण किए जाने पर पाई गई ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय नहीं होगी।

24. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल का प्रदाय केता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद केता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (repudiate) कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

25. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (disqualification) होगी।

26.(i) **सुपुर्दगी अवधि** :– बोलीदाता, जिसकी बोली स्वीकार की जाए..... द्वारा प्रदाय आदेश करने की तारीख से 45 दिवस की अवधि के भीतर निम्न प्रकार सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा:–

कम सख्या	मद	मात्रा	सूपूर्दगी अवधि
			आदेश दिये जाने की दिनांक से 45 दिवस की अवधि में

(ii) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणें के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तो पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खूली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात दिया गया था । प्रदाय या पूर्ण हाने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकगी । पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी:–

(क) संकर्मो की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत, और
(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत ।

(iii) यदि केता अधिकारी किन्हीं निविदत वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या बोली प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो बोलीदाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

27. **बोली बयाना राशि** *(अर्नेस्ट मनी)*:–

(क) बोली के साथ रू. 13.80 लाख की बोली बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि <u>आयुक्त जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग उदयपुर</u> के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी रूप में जमा करायी जानी चाहिए:–

(i) नकद–शीर्ष "8443–सिविल निक्षेप– 103 प्रतिभूति निक्षेप" के अन्तर्गत ट्रेजरी चालन से जमा कराया जाना चाहिए।

(ii) शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक

(ख) बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय :– असफल बोलीदाता की बयाना राशि को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशक्य शीघ्र लौटायी जाएगी।

(ग) बोली प्रतिभूति राशि से आंशिक छूटः– उन फर्मो को जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत हैं, उन मदों के सम्बन्ध में, जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण–पत्र या उसकी फोटो स्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर बोली आमंत्रित करने की सूचना में दिखाये गये बोली के अनुमानित मूल्य के ***1/2 प्रतिशत*** दर पर बोली प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।

(घ) बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपकमों निगमों, स्वायत निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपकम और कम्पनियों से ली जायेगी।

(ङ) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रदद् की गई बोलीओं के सम्बन्ध में या संविदाओ के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग / कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नई बोलीओ के लिए बोली प्रतिभूति राशि / प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि बोलीओं को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बोली प्रतिभूति राशि को उपयोग में लिया जा सकता हैं।

28. बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण :– बोली प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में सहपहृत कर लिया जाएगा :–

(i) जब बोलीदाता बोली खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता हैं।

(ii) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हैं।

(iii) जब बोलीदाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद कार्य सम्पादित प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हैं।

(iv) वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता हैं।

29.(1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेपः–

(i) सफल बोलीदाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्ररूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित कराना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए बोलीयां स्वीकार की गई हैं, उनके मूल्य के 5% के बराबर कार्य सम्पादित प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको बोली के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गई है, 15 दिन के भीतर जमा कराई जाएगी ।

(ii) बोली के समय जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। कार्य सम्पादित प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iii) कार्य सम्पादित प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे :–

(क) नगद / बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / चालान की रसीदी प्रति

(ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत् गिरवी (Pledge) रखा जाएगा।

(ग) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत कोई अन्य स्क्रिप्ट / विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।

(v) एक बार की खरीद के मामलें में क्रय आदेश के अनुसार मदों के अन्तिम प्रदाय से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बात में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरूद्ध कोई देय बकायायें (Outstanding Dues) नहीं हैं, कार्य सम्पादित प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

(2) (i) निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मो को उन सामानों के सम्बन्ध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन(विलोपित) प्रमाण–पत्र मूल रूप में, या उसकी फोटो स्टेट प्रति या राजपत्रित अधिकारी से उसकी विधिवत् अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने पर, बोली प्रतिभूति राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे बोली के अनुमानित मूल्य के 1/2 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेंगी। और अमानत राशि अनुमोदित मात्रा के मूल्य की एक प्रतिशत ली जावेगी ।

(ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम कार्य सम्पादित प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।

(iii) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :– कार्य सम्पादान प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा।

(क) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तो का उल्लंघन किया गया हों।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हों।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान बोलीदाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त (Counter foil) निःशुल्क दी जाएगी।

30. बीमाः–(i)सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किए जाएंगे। यदि प्रदायकर्ता चाहे तो वह मूल्यवान सामान की चोरी, नाशन या नुकसान द्वारा या आग, बाढ, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे–युद्व विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हॅानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किए जाते हैं तो राज्य में इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ii) यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए।

31. **भुगतान :–**

(i) दुर्लभ एवं विशिष्ठ मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल / प्रतिष्ठित गुड्स ट्रांस्पोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा वित्तीय शक्तियों में विहित की गई सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किए जाने पर किया जाएगा। अतिशेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निरीक्षण के समय पृष्ठांकित और बोलीदाता को नहीं दिए गए उस आशय के प्रमाण–पत्र पर दिए जाने पर दिया जाएगा।

(ii) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान बोलीदाता द्वारा केता अधिकारी को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(iii) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में,राशि का 10 से 25% तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(iv) उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत हैं, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों ।

32. (i) बोली प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता केता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(ii) परिसमापित नुकसानीः– परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका बोलीदाता प्रदाय करने में असफल रहा हैं :–(इस संबध में यदि कोई हो तो नीविदा प्रपत्र में अकिंत की गई शर्ते ही लागु होगी।)

(1)	(क)	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2½%
	(ख)	एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए	5%
	(ग)	आधी अवधी से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए	7½%
	(घ)	विहित अवधी की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए	10%

(2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।

(3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।

(4) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया हैं। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(5) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

33. वसूलियॉं :– परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रदद् की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट–फूट, रदद् किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि (dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध कार्य सम्पादित प्रतिभूति निक्षेप की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्त या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

34. बोलीदाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।

35. यदि बोलीदाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यकवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हों।

36. क्रेता अधिकारी किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं हैं, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी हैं, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या एक फर्म / प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को विपरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

37. बोलीदाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(iv) कम्पनी के मामलें में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र।

38. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation), आशय या संविदा की शर्तो के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाघ्यक्ष को भेजा जायेगा , जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उपअधिकारी की नियुक्ति करेगा। उस अधिकारी का इस संविदा से संबंध नही होगा , तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा ।

39. समस्त विधिक कार्यवाहियॉं, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।

40. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा – 80 में वर्णित सत्य निष्ठा की अर्हता बोलीदाता पर लागू होगी।

41. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहॉं आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 के प्रावधान लागू होंगे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांकः— No. F6()Accts/CTAD/E-Bid./EPS/2015-16/ 6571 दिनांक-01/03/16

शुद्धिकरण—आदेश

जनजाति बी.पी.एल. परिवारों के लिए विद्युत पम्प सेट मय एसेसरिज एवं स्थापना के क्रय करने हेतु जारी ई—बोली सूचना क्रमांक 3894 दिनांक 08.02.16 के क्रम में विद्युत पम्प सेट के Specifications में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है—

AMENDED TECHNICAL SPECIFICATION OF EPS

Item no.	Name of the Item & Specification
1	**Electric pump set** **(Horizontal open well submersible pump set) with accessories and Installation having ISI Marked** **Specifications:** Power rating- 2.2 kw/ 3HP, Power supply- 3 phase AC voltage, Rated voltage- 415 volt, Working voltage range: 415 volt +/- 15 percent, Total head- 20 to 7 meter, Discharge- 5 LPS to 12 LPS, Pipe (suction/delivery)- 80mm/65mm, Strainer- as per pump set design **Material:** Impellor- Stainless steel (crome), Delivery casing- cast iron Motor body- Stainless steel (crome), Shaft- Stainless steel (crome) Rotor- Epoxy coated copper, Stomping- Silicon coated CR/CRNO **Delta Starter with accessories :** Contactor-12A, Thermal Overload relay upto 10A, Single phase protector, MCCB TP 16KA-16A, Ameter with CT 30/5A 96*96mm, Volt meter- 500 V 96*96mm, Push button for on/off **Cable:** Three core 2.5 square mm flat submersible cable ISI marked in length 30 meter **Pipe:** HDPE delivery pipe 30 meter confirming to ISI marked 65 mm with 12mm PP rope ISI marked complete with SS connecting nipples of suitable size

उक्तानुसार BOQ Sheet में संशोधन किया जावे।

विद्युत पम्प सेट के Specification के अतिरिक्त क्रय समिति की अनुशंसा के आधार पर ई—बोली में निम्नलिखित शर्तें भी सम्मिलित की जाती है—

1. बोलीदाता को BIS Licence with anexure; performance curves, Technical data & MOC sheet प्रस्तुत करनी होगी।
2. क्रय की जाने वाली सामग्री ISI Marked होनी चाहिए।
3. अनुमोदित फर्मों को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के परियोजना अधिकारियों एवं जिला परिषदों के परियोजना अधिकारी (माडा) द्वारा ई—बोली में अनुमोदित दरों पर समय—समय पर आवश्यकतानुसार क्रय आदेश दिये जायेगे। दरें अनुमोदित किये जाने की दिनांक से एक वर्ष तक के लिए अनुमोदित की जायेगी।

(हर्ष सावनसुखा)
अतिरिक्त आयुक्त(प्रथम)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल EPABX : 2428721&24 फेक्स : 0294&2411417
ई—मेल : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website :www.tad.rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांकः– No. F6()Accts/CTAD/E-Bid./EPS/2015-16/ 5863 दिनांक- 24/2/16

शुद्धिकरण–आदेश

जनजाति बी.पी.एल. परिवारों के लिए विद्युत पम्प सेट मय एसेसरिज एवं स्थापना के क्रय करने हेतु जारी ई–बोली सूचना क्रमांक 3894 दिनांक 08.02.16 के क्रम Bid submission start date 24-02-16 at 3.00 PM के स्थान पर Bid submission start date 01-03-16 at 3.00 PM की जाती हैं।

(हर्ष सावन सुखा)
अतिरिक्त आयुक्त(प्रथम)